HEG/SECTT/2026 May 23, 2026

1	**BSE Limited** P J Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001. **Scrip Code : 509631**	2	**National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051. **Scrip Code : HEG**

Sub: Submission of Newspaper clippings regarding Notice of hearing of Company Scheme Petition

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper publication published on May 23, 2026 in relation to the Notice of Hearing of Company Scheme Petition before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench (NCLT), fixed by NCLT on June 4, 2026, in connection with the Composite Scheme of Arrangement amongst HEG Limited, Bhilwara Energy Limited and HEG Graphite Limited and their respective shareholders and creditors.

The aforesaid newspaper publication has been published in the following newspapers:

1. **Business Standard (in English)** : All Editions

2. **Nav Bharat (in Hindi)** : Bhopal and Indore Editions

Copy of newspapers clippings in this connection are attached.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG Limited**

VIVEK CHAUDHARY
Digitally signed by VIVEK CHAUDHARY
Date: 2026.05.23 11:05:01 +05'30'

Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263
heg.investor@lnjbhilwara.com

Encl: As above

EICHER

EICHER MOTORS LIMITED

CIN: L34102DL1982PLC129877
Regd. Office: Office number 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot Number 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Telephone: +91 11 41095173
Email: investors@eichermotors.com, **Website:** www.eichermotors.com

Notice for Loss of Share Certificates

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) of Eicher Motors Limited ("the Company") have been reported as lost/misplaced/stolen by the below mentioned registered holder(s) and they have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s).

Name of Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.		No. of shares (Face value Rs.10 each)
			From	To	
Anandji N Khona	0014962	24968	2494901	2495000	100

Any person who has a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her claim with all supporting documents with the Company at its registered office address at Office No. 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot No. 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001, India. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s)/ Letter of Confirmation to the person(s) named above subject to verification of all documents and no further claim would be entertained from any other person(s).

For **Eicher Motors Limited**
Sd/-
Atul Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Date : May 22, 2026
Place : New Delhi

GRAPHITE INDIA LIMITED

CIN - L10101WB1974PLC094602
Regd. Office: 31, Chowringhee Road, Kolkata 700016
Phone No.91334002 9600; Fax No.9133 2249 6420
Email: corp_secy@graphiteindia.com
Website: www.graphiteindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016("the Rules") the dividend declared at the 44th Annual General Meeting of the Company held on July 3, 2019, for the financial year 2018-19, which remains unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on or after **August 6, 2026**. Further, the corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the detail of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on your website. Shareholders concerned may refer to the web-link: **http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx** to verify the detail of their unclaimed dividend and the shares liable to be transferred.

Concerned shareholder holding shares in physical form and whose share are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would issuing duplicate share certificate(s) in, lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate (s) which are registered in the name of original shareholder will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialised form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before **July 23, 2026**, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF after due date i.e. **August 6, 2026**. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, **M/s. MUFG Intime India Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel. No.: 8108116767, e-mail: iepf.shares@in.mpms.mufg.com**

For **Graphite India Limited**
Sanjeev Marda
(VP - Legal and Company Secretary)

Place : Kolkata
Date : 22/05/2026

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, INDORE BENCH

COMPANY SCHEME PETITION NO. CP(CAA)/3(MP)2026
CONNECTED WITH
COMPANY SCHEME APPLICATION NO. CA(CAA)/1(MP)2026
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013
AND
IN THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST HEG LIMITED AND HEG GRAPHITE LIMITED AND BHILWARA ENERGY LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

HEG Limited, a company incorporated under Companies Act, 1956, having corporate identification number CIN: L23109MP1972PLC008290 and its registered office at Mandideep Near Bhopal, Dist Raisen, Madhya Pradesh – 462 046, India) **...Company/ First Petitioner Company/ Demerged Company/ Transferee Company**

HEG Graphite Limited, a company incorporated under Companies Act, 2013, having corporate identification number CIN: U23994MP2024PLC071568, and its registered office at C/o HEG Limited, NH-12, Dist Raisen, Near Bhopal, Mandideep, Bhopal, Huzur, Madhya Pradesh – 462046, India) **... Second Petitioner Company/ Resulting Company**

Bhilwara Energy Limited, a company incorporated under Companies Act, 1956, having corporate identification number CIN: U35100MP2006PLC071693, and its registered office at C/o HEG Limited, NH-12, Dist Raisen, Near Bhopal, Mandideep, Bhopal – 462 046, Huzur, Madhya Pradesh India) **... Third Petitioner Company/ Transferor Company**

Collectively referred to as the "Petitioner Companies"

NOTICE OF HEARING OF COMPANY SCHEME PETITION

A Company Petition under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 for sanctioning the Composite Scheme of Arrangement amongst HEG Limited and HEG Graphite Limited and Bhilwara Energy Limited and their respective shareholders and creditors was presented by the Petitioner Companies on May 12, 2026, and was admitted vide order dated May 14, 2026, by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench ("Order")("NCLT"). In terms of the Order passed by Hon'ble Shri. Brajendra Mani Tripathi, Hon'ble Member (Judicial) and Hon'ble Shri Man Mohan Gupta, Hon'ble Member (Technical) of the NCLT in CP(CAA)/3(MP)/2026, the date of hearing and final disposal of the captioned matter, as fixed by the Hon'ble Tribunal, is June 4, 2026.

Any person desirous of supporting or opposing the said Company Petition should send to the Petitioner Companies' Advocates Mr. Ravi Pahwa, Partner, M/s. Thakkar & Pahwa Advocates at ravi.pahwa@thakkarandpahwa.com (in soft copy) and / or M/s. Thakkar & Pahwa Advocates, office at 71, New York Tower – A, 7th Floor, Opp. Muktidham Derasar, Thaltej Char Rasta, Ahmedabad – 380 054 (in hard copy), notice of such intentions, in writing, signed by him/her or his/her Advocate, with his/her full name and address, so as to reach the Petitioner Companies' Advocate, not later than two days before the date fixed for hearing of the said Company Petition. Where he/ she seeks to oppose the Company Petition, the ground of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the Company Petition will be furnished by the undersigned to any person on payment of prescribed charges.

Dated this May 23, 2026

Sd/-
Ravi Pahwa
Partner
Thakkar & Pahwa Advocates
Advocate for the Petitioner Companies

Place: Indore

MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

MAN MICL LIVE BETTER
Corporate Identity Number: L70200MH2002PLC136849
12th Floor, Krushal Commercial Complex, G.M. Road, Chembur (West), Mumbai -400 089
Website: www.maninfra.com; **Investor Relation Contact:** investors@maninfra.com **Tel:** +91 22 42463999

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE ("Postal Ballot Notice") is hereby given that pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), and pursuant to other applicable laws and regulations, the approval of shareholders of Man Infraconstruction Limited (the "company") is being sought for approval of Material Related Party Transactions as an Ordinary resolution forming part of the Postal Ballot Notice dated May 13, 2026.

In terms of the MCA Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement thereof, on **Friday, May 22, 2026,** to the Members of the Company holding shares as on **Friday, May 15, 2026** ("cut-off date") who have registered their email addresses with Depository Participant(s)/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz., MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited). Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only. The Notice is available on the Company's website at www.maninfra.com, website of the Stock Exchange viz. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL") i.e. www.evoting.nsdl.com

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at investors@maninfra.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the member, self-attested copy of the pan card and self-attested copy of the any of the given documents (eg.: Driving license, Election Identity card, Passport) in support of the address of the member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with relevant Depository Participants. In case of any queries/ difficulties in registering the e-mail address, members may write to investors@maninfra.com .

Instructions for remote e-voting:

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 of the Act read with the Rules and Regulations 44 of the Listing Regulations, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through remote e-voting only on the e- voting platform provided by NSDL. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the Notice. In accordance with the above-mentioned Circulars, Members can vote only through remote e-voting process.

The Board of Directors of the Company in its meeting held on Wednesday, May 13, 2026 has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar (FCS 5171; CP 3030), Partner of M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process, in a fair and transparent manner.

The remote e-voting period shall commence on **Sunday, May 24, 2026 (9:00 A.M. IST)** and end on **Monday, June 22, 2026 (5:00 P.M. IST)**. Members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The remote e-voting module shall be disabled at **5:00 P.M. IST** on **Monday, June 22, 2026,** and remote e-voting shall not be allowed beyond the same.

In case of any query relating to e-voting, Members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 -48867000 and 022 -2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com. Members may also write to the Company Secretary at investors@maninfra.com or at the Registered Office address of the Company.

The results of the Postal Ballot will be announced by the Managing Director and/or Company Secretary of the Company at the Registered Office of the Company on or before **Wednesday, June 24, 2026**. The said result along with Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's Website viz www.maninfra.com. The results along with Scrutinizer's Report shall also be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also displayed on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting. The newspaper communication will also be available on the website of the company and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE and NSE, where the equity shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors
For Man Infraconstruction Limited
SD/-
Durgesh Dingankar
Company Secretary
Membership No.: F7007

Place : Mumbai
Date : May 22, 2026

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN : L65910HR1982PLC034071
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Phone : + 91-124-4675500, **Fax :** + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbleasing.com, **Website :** www.hbleasing.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2026

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
		31/03/2026	31/03/2025	31/03/2026
		Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	15.27	1.01	27.71
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(3.99)	(13.70)	(27.62)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(3.99)	(13.70)	(27.62)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(3.68)	(13.40)	(27.45)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(2.81)	(13.98)	(26.58)
6.	Equity Share Capital	1286.27	1286.27	1286.27
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	(742.20)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	Basic:	(0.03)	(0.12)	(0.21)
	Diluted:	(0.03)	(0.12)	(0.21)

Notes:

(i) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of this Quarter and Year ended Financial Results is available on the website of Stock Exchange, BSE Limited, **www.bseindia.com** and Company's website, **www.hbleasing.com**. The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below.

(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 22nd May, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.

For HB Leasing and Finance Company Limited
Sd/-
ANIL GOYAL
(Managing Director)
DIN: 00001938

Place : Gurugram
Date : 22/05/2026

JAMSHRI REALTY LIMITED

CIN: L17111PN1907PLC000258
Regd. Office : Fatehchand Damani Nagar, Station Road, Solapur - 413 001. Tel. No. 91 22 45782579, Website: www.jamshri.in, EMAIL: jammill1907@gmail.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2026 (₹ in Lakhs)

SR. NO.	Particulars	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	211.40	210.58	208.65	877.87	905.46
2	Profit/ (Loss) for the period from continuing operations before Tax and Exceptional items	(30.16)	4.78	(41.68)	(13.86)	(156.22)
3	Net Profit/ (Loss) for the period from continuing operations after tax and Exceptional items	(30.16)	4.78	(41.68)	(13.86)	(123.80)
4	Profit/ (Loss) for the period from discontinued operations before Tax	10.24	(4.54)	(4.76)	(4.76)	-
5	Net Profit/ (Loss) for the period from discontinuing operations after tax	10.24	(4.54)	(4.76)	(4.76)	-
6	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10.19)	0.24	(34.28)	(8.88)	(111.64)
7	Equity Share Capital	698.65	698.65	698.65	698.65	698.65
8	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations)	10/-	10/-	10/-	10/-	10/-
	Continued operations Basic & Diluted Earning Per Share	(0.43)	0.07	(0.60)	(0.20)	(1.77)
	Discontinued operations Basic & Diluted Earning Per Share	0.15	(0.06)	(0.07)	(0.07)	-

NOTES:

a) The above audited financial results has been reviewed by the Audit Committee approved by the Board of Directors at its meeting held on **May 21, 2026**.

b) The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as notified by Ministry of Corporate Affairs pursuant to Section 133 of the Companies Act, 2013 read with of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and other relevant provisions of the Act.

c) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended **31 March 2026** filed with BSE. The full format is available on the website of BSE www.bseindia.com and on the Company's website at www.jamshri.in.

For JAMSHRI REALTY LIMITED
sd/-
P R DAMANI
MANAGING DIRECTOR

PLACE : MUMBAI
DATE : 21st MAY 2026

MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED

(D.P. JINDAL GROUP)
Registered Office : Pipe Nagar, Village Sukeli, BKG Road, NH-17, Taluka Roha, Distt. Raigad-402126 (Maharashtra)
Corporate Office : Plot No. 30, Institutional Sector - 44, Gurugram - 122003 (Haryana)
Interim Corporate Office: Plot No.106, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003 (Haryana); CIN: L99999MH1988PLC080545
Tel. No. 02194 - 238511; E-mail: secretarial@mahaseam.com; Website www.jindal.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. in Crores, except per share data)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
					Audited	Audited				Audited	Audited
		31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25
1.	Total income from operations	1,279.91	1,090.14	1,415.83	4,671.41	5,265.90	1,280.11	1,090.29	1,417.77	4,674.34	5,268.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	158.87	323.97	299.17	959.57	1,015.76	157.72	322.69	299.24	956.06	1,013.79
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	155.83	323.97	299.17	956.53	1,015.76	151.17	319.46	298.87	939.42	1,000.20
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	107.53	247.16	242.53	718.16	792.85	102.84	242.65	242.26	701.02	777.32
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	108.18	247.21	242.69	718.97	793.07	78.10	243.15	206.40	678.43	742.88
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 5/- each)	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
7.	Other Equity				6,790.88	6,205.92				6,809.45	6,272.94
8.	Earning per Share Basic/Diluted Earning Per Share Not Annualised (Rs.)	8.02	18.44	18.10	53.59	59.17	7.67	18.12	18.06	52.33	58.02

Note:

1. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter & year ended 31st March 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full financial results for the quarter & year ended 31st March, 2026 are available on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.jindal.com and can also be accessed by scanning the given QR code.

For **MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED**

JINDAL D.P. JINDAL GROUP

SAKET JINDAL
Managing Director
DIN: 00405736

Place : New Delhi
Date : 22nd May, 2026

JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED

(D.P. JINDAL GROUP)
Registered Office : Pipe Nagar , Village Sukeli, N.H. 17, B.K.G.Road Taluka Roha, Distt: Raigad-402126, Maharashtra (India)
Corporate Office : Plot No. 30, Institutional Sector-44, Gurugram - 122003 (Haryana)
Interim Corporate Office: Plot No.106, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003 (Haryana), CIN: L27201MH1983PLC233813
Tel: 02194-238511-12, Fax : 02194-238511, Web: www.jindal.com, E-mail: secretarial@jindaldrilling.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. In Lakhs except earning per share data)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
					Audited	Audited				Audited	Audited
		31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25
1.	Total income from operations including other income	27,167	16,106	26,361	1,04,234	88,433	27,167	16,105	26,361	1,04,234	88,433
2.	Net profit / (loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,766	(4,888)	7,147	23,592	18,841	4,766	(4,888)	7,147	23,592	18,841
3.	Net profit / (loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,371	(4,888)	7,147	23,197	18,841	5,686	(4,547)	8,980	26,996	26,347
4.	Net profit / (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items but before Other Comprehensive Income)	3,223	(3,680)	5,328	17,261	14,084	4,538	(3,339)	7,161	21,060	21,590
5.	Total comprehensive income for the period [comprising profit /(loss) for the period after tax and other comprehensive income (after tax)]	2,596	(3,791)	5,475	16,138	13,471	5,591	(2,987)	8,311	23,492	22,744
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5 each)	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449
7.	Other equity	-	-	-	1,46,876	1,29,580	-	-	-	1,82,023	1,57,371
8.	Earning per Share (of Rs. 5 each) Basic / Diluted Earning Per Share Not Annualised (in Rs.)	11.12	(12.70)	18.39	59.56	48.60	15.66	(11.52)	24.72	72.67	74.50

Note:

1. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter & year ended 31st March 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full financial results for the quarter & year ended 31st March, 2026 are available on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. - and can also be accessed by scanning the given QR code.

for **JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED**

JINDAL D.P. JINDAL GROUP

RAGHAV JINDAL
Managing Director
DIN: 00405984

Place : New Delhi
Date : 22nd May, 2026

समान नागरिक संहिता : समिति नागरिकों से लेगी सुझाव

- जिलों में जाएगी उच्च स्तरीय समिति
- आगामी 15 जून तक सुझाव दिए जा सकेंगे

नवभारत न्यूज

भोपाल 22 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रदेश में प्राप्त सुझावों के संकलन के लिए की गई पहल सराहनीय है.जनता के मत प्राप्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी.

जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से यह कार्य आसान होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया.इस तरह की वेबसाइट के निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों को वेबसाइट के निर्माण के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस संबंध में कार्य प्रारंभ हुआ है.स्वतंत्रता के बाद से ही इस तरह के कार्य की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी.नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक विधि के समग्र अध्ययन की जरूरत है.जन सामान्य, राजनीतिक दल, गैर शासकीय संगठन आदि इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे, जिनका सम्मान करते हुए विचार मंथन होगा.सभी सुझावों का संकलन भी किया जाएगा. जन परामर्श के उद्देश्य से समिति ने वेबसाइट का निर्माण कर महत्वपूर्ण कार्य किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक राष्ट्र, एक विधान,एक निशान के महत्व को समझते हुए इसके अलावा एक विधि के लिए आवश्यक दायित्व पूर्ण करेगा.निश्चित ही यह जन हितैषी कार्य है.इस नाते गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति बधाई की पात्र है.राज्य शासन द्वारा विवाह, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य परिवार संबंधित कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाएगा.

इस उद्देश्य से ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.इस अवसर पर समिति द्वारा जन परामर्श के उद्देश्य से निर्मित की गई वेबसाइट पर जनमानस से सुझाव सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे.सुझाव देने की अंतिम तिथि 22 मई से आगामी 15 जून तक निर्धारित की गई है.वेबसाइट लांच किए जाने के अवसर पर समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती प्रकाश रचना देसाई ने भी वर्चुअली संबोधित किया.समिति के सचिव अजय कटेसरिया ने समिति के कार्यों का विवरण दिया.बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में मनाया जायेगा गंगा दशहरे का पर्व

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में क्षिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जायेंगे .जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेशभर में वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे .प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरियां, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण-पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जायेंगी. भारत भवन, भोपाल में 'सदानीरा' का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जायेगा .राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं.

सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करें

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऊर्जा उत्पादन के पारम्परिक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए राज्य में सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए .किसानों के लिए सोलर पम्प और गांव से लेकर शहर तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए .मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की बैठक में समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रमुख नवाचारों की प्रशंसा की .बैठक में बताया गया कि गत ढाई वर्ष में प्रदेश में ड्रोन आधारित पेट्रोलिंग का नवाचार सफल हुआ है .इससे विद्युत लाइन ट्रिपिंग को 35 प्रतिशत कम करने और 220 केव्ही के लगभग 10 हजार टॉवरों के टॉप पेट्रोलिंग के कार्य में सफलता मिली है. इसी तरह वर्तमान में 400 और 132 केव्ही के 23 हजार टॉवरों के टॉप पेट्रोलिंग का कार्य ड्रोन द्वारा किया जा रहा है. इंसूलेटेड वर्क प्लेटफार्म का नवाचार भोपाल, जबलपुर, इंदौर और दमोह में किया गया .लाइनमैन द्वारा चालू लाइन में ही वेयर हेन्ड तकनीक और हॉट लाइन स्टिक तकनीक का कार्य इससे संभव होता है .गत वर्ष चालू लाइन में 257 परिचालन किए गए .परिचालन कर्मियों और प्रशिक्षु इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए परिचालन सिम्युलेटर स्थापित किया जा रहा है. बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी ने विश्वसनीय संचालन का प्रमाण देते हुए विद्युत गृहों द्वारा लगातार विद्युत उत्पादन किया गया है .गत 14 जनवरी को 19 हजार 895 मेगावॉट की सफलतापूर्वक पूर्ति इतिहास की सर्वाधिक पूर्ति है .ट्रांसमिशन कम्पनी का हानियां भी 2 .60 प्रतिशत ही हैं .इसी तरह पारेषण उपलब्धता का प्रतिशत 99 .52 है।

तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ों का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 22 मई. वन परिक्षेत्र बैरसिया में अंतर्गत 4 लघु वनोपज समितियों में 62 फड़ों पर तेंदूपत्ता का संग्रहण जारी है. इनमें बैरसिया, दामखेड़ा, भोजापुरा एव गुनगा शामिल है.

वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय सिह राजपूत ने तेंदूपत्ता फड़ों का सतत निरीक्षण कर समिति प्रबंधकों और फड़ मुंशियों को गुणवत्ता युक्त तेंदूपत्ता लेने के निर्देश दिए . राजपूत ने नवभारत से चर्चा में बताया कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 6710 मानक बोरा है. 21 मई तक 4385 मानक बोरा हो चुका है. सरकार ने तेंदूपत्ता की दर 4 हजार रुपए मानक बोरा रखी है.

तेंदूपत्ता की गुणवत्ता परखने के लिए उप वनमंडल अधिकारी धीरज सिह चौहान भी निरीक्षण कर रहे हैं.निरीक्षण दौरान रेंजर संजय सिह राजपूत तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार की संचालित योजना मृत्यु दावा , हितलाभ , एकलव्य योजना आदि के प्रति जागरूक कर रहे हैं.

प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना 24 मई तक होगी

भोपाल. प्रदेश व्यापी ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना 22 से 24 मई तक सूर्योदय से प्रात: 9:00 बजे तक होगी. गिद्ध गणना का कार्य वन विभाग के अतिरिक्त स्वंय सेवकों के सहयोग से ऑनलाइन एप के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों के संकलन में आसानी रहेगी. मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की शुरूआत वर्ष 2016 से की गई थी जिसमें 7,028 गिद्धों का आंकलन किया गया था.

समन्वय बढ़ाकर कार्य करे खाद्य विभाग

भोपाल, 22 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य विभाग अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित कर उपभोक्ता हित में कार्य करे .खाद्य विभाग ने अनेक नवाचार किए हैं जिनका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है .नवाचारों और उपभोक्ता हित का कार्य निरंतर किया जाए .मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण मार्ट के रूप में उन्नयन किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मोबाइल पर संदेश भेजकर राशन प्रदाय और वितरण की सूचना देने का प्रावधान किया गया है .यह नवाचार उपभोक्ताओं के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है .मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ता के रूट ऑप्टिमाइजेशन के कार्य से परिवहन लागत में सरकार को 42 लाख रुपए प्रति माह की बचत हुई.

सचिवालय से अपने निवास तक पैदल गए मंत्री राजपूत

भोपाल, 22 मई. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अनुशासित जीवनशैली और सादगी का प्रेरणादायक संदेश दिया. राजपूत मुख्यमंत्री सचिवालय से अपने शासकीय निवास सी-2, 74 बंगले तक पैदल पहुंचे.

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाकर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को आंदोलन का रूप दें.उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पैदल चलने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का प्रयास करने की भी अपील की.

राजपूत ने कहा कि भागदौड़ भरी जीवनशैली और लगातार बढ़ते तनाव के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है.नियमित पैदल चलना न केवल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है.

पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण

भोपाल. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा भोपाल, मंडला, अशोकनगर, खंडवा, रीवा, नीमच एवं निवाड़ी में औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में 34 कार्यों का रेंडम आधार पर चयन कर परीक्षण किया गया.

पश्चिम मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं. भोपाल/टीआरडी/ड्राइंग/डब्ल्यू.सी./482

दिनांक: 20.05.2026

वरि मंडल विधुत इंजी./टीआरडी/पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 11:00 बजे तक ई-टेन्डर आमंत्रित करते है। संपुर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.irpes.gov.in पर उपलब्ध है, इस टेन्डर के लिये कोई मॅन्युअल ऑफर मान्य नही है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **निविदा क्र.:** बीपीएल/ टीआरडी/डीआरजी/डब्ल्यू सी/482, **कार्य का विवरण:** प्रोविजन ऑफ 10 KVA AT फॉर एल-सी गेट्स नंबर 146, 131 एंड 136 इन बिटवीन रूठियाई-मक्सी सेक्शन ऑफ भोपाल डिवीजन, **कार्य समाप्त करने की अवधि:** 6 माह, **अनुमानित लागत रू. में:** 2869662.28, **ईएमडी रू. में:** 57400.00, **जमा करने की अंतिम तारीख एंव समय:** 15.06.2026 को 11.00 बजे तक।

वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर, टीआरडी, पमरे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

असंगठित कामगारों की अनदेखी का आरोप

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस विभाग का प्रदेशस्तरीय सम्मेलन

- नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा
- सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस विभाग का प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर मजदूरों, कर्मचारियों और कमजोर वर्गों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

एक दिवसीय सम्मेलन में प्रदेशभर से विभाग के पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए.कार्यक्रम में अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदित राज, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे. सम्मेलन में असंगठित कामगारों, मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और श्रमिकों के कथित शोषण को लेकर भी नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा.विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए.

सभा को संबोधित करते हुए उदित राज ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही हैं.उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में असंगठित मजदूरों का शोषण बढ़ा है और कांग्रेस हमेशा कमजोर वर्गों की आवाज उठाती रही है. उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक श्रमिकों के मुद्दे उठाती रहेगी.

> पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने और श्रमिकों की समस्याओं को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया .सम्मेलन को डॉ. संजय कामले, महेंद्र जोशी और डॉ. महेंद्र सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया.

तस्करी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

भोपाल. प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेल नेटवर्क के जरिये दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी में शामिल संगठित गिरोह के आरोपी परवेज खान और दीपक पारखे की प्रथम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज कर दी गई है.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम HARWINDER KHATRI था। जिसे बदलकर नया नाम ANU KAURA कर दिया है मुझे ANU KAURA W/O RAVI KUMAR KAURA नाम से जाना पहचाना जाएं।

सही नाम

अनु कौड़ा

वार्ड नं. 9, कटंगी, बालाघाट (म.प्र.)

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E- mail:- srmmp.fci@nic.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2026/18 — दिनांक : 23.05.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है ।

किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Tower-F, NBCC World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

भादूविप्रा TRAI

रिक्ति परिपत्र संख्या : 01/2026-27

सूचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद/ कोलकाता/ भोपाल/ बेंगलुरू में परामर्शदाता - निजी सचिव (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में.

भादूविप्रा (मुख्यालय) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद/कोलकाता/भोपाल/बेंगलुरू में अनुबंध के आधार पर एक परामर्शदाता [सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ((निजी सचिव)) को नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है.

2. नियुक्ति हेतु विस्तृत नियम और शर्तें, योग्यता तथा अनुभव ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है. इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से URL: https://vacancies.trai.gov.in पर भेज सकते हैं. ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 जून 2026 है.

सीबीसी-06202/12/0014/2

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वीर सावरकर जोन क्र.-04 (मंगलवारा)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भोपाल जोन क्र. 04 के वार्ड क्र.-17 में स्थित वर्गीकृत बाजार न्यू कबाड़खाना के भूखण्ड क्र.179/180 का नामान्तरण किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन किया जाना है. जिनके नामों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जोन क्र.	वार्ड क्र.	आवंटी का नाम	स्थान एवं भूखण्ड	आकार	नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदक का नाम	नामांतरण का आधार
1	4	17	श्री यासीन आत्मज श्री अब्दुल गनी	भूखण्ड क्र.-179 वर्गीकृत बाजार भूखण्ड क्र.-180 वर्गीकृत बाजार	20×60=1200 वर्गफुट 20×60 =1200 वर्गफुट कुल योग 2400 वर्गफुट	1. श्रीमती हफीजन बी पत्नी श्री मोहम्मद यासीन 2. श्री मो. फारुक 3. श्री मो. इकबाल 4. श्री मो. खालिद 5. मो. सादिक 6. श्री अंजुमा बानो 7. श्रीमती जरीना एवं 8. श्रीमती कमरुन निशा पुत्र एवं पुत्रीगण श्री मोहम्मद यासीन	आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बयान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपरोक्त भूखण्ड के नामांतरण पर किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना पत्र के 15 दिवस के भीतर जोन कार्यालय क्र. 04 वार्ड क्र.- 17 के कार्यालय में शपथ पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करें. नियत समयावधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रकरण में विधिवत नामंतरण हेतु कार्यवाही कर दी जावेगी.

जोनल अधिकारी

जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 4

नगर पालिक निगम भोपाल

सू. क्र. 3/026/027

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की सफाई का दावा गलत

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के भ्रामक बयान की संगठनों ने की निंदा

नवभारत न्यूज

भोपाल, 22 मई. यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे 4 संगठनों ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा दिए गए उस दावे का कड़ा खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के 'पूरे जहरीले कचरे' की सफाई हो चुकी है. संगठनों ने इस दावे को झूठा और भ्रामक बताया.

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी ने कहा, मंत्री का दावा सच्चाई से बहुत दूर है. वास्तविकता यह है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से 400 मीट्रिक टन से भी कम जहरीला कचरा हटाया गया है.सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह भोपाल में फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर दबे कुल खतरनाक कचरे का मात्र 1 प्रतिशत है.

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने याद दिलाया कि, 'स्वयं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 19 जून 2023 को एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि बंद पड़ी फैक्ट्री और उसके आसपास मौजूद प्रदूषण के आकलन और उपचार का कार्य अभी लंबित है. भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री परिसर और उसके आसपास दबे खतरनाक कचरे ने बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 4 किलोमीटर दायरे तक के भूजल को प्रदूषित कर दिया है.

> भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसीरीन बी ने कहा कि भोपाल में जारी इस पर्यावरणीय आपदा के प्रति राज्य और केंद्र सरकारों की प्रतिक्रिया दिसंबर 1984 की गैस त्रासदी के समय की प्रतिक्रिया से भी बदतर है, और यह केवल सरकारी झूठों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है. उन्होंने आगे कहा, जिस राज्य सरकार के पास यह जमीन है, उसने आज तक पर्यावरणीय क्षति के लिए यूनियन कार्बाइड या उसकी मालिक डॉव केमिकल से मुआवजा मांगने की पहल नहीं की है.

संख्या- Q-15014/01/2023-CPA

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

द्वितीय तल, पृथ्वी विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली

विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में दो (02) पूर्णकालिक (तकनीकी) सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, दिल्ली में दो (02) पूर्णकालिक सदस्य (तकनीकी) के पदों पर चयन एवं नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) के अंतर्गत की गई है. उक्त सदस्य पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा.

3. विस्तृत विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट https://moef.gov.in तथा CAQM की वेबसाइट https://caqm.nic.in पर उपलब्ध है.

(पी. वी. पिल्लई) निदेशक (सीपी)

दूरभाष : 011-20819195

ई-मेल: v.pazhaniyandi@nic.in

CBC 13101/11/0003/2627

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) की स्थापना की है. इस बोर्ड की स्थापना एक निगमित निकाय के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है.

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) को एक 'डिजिटल-बाय-डिजाइन' संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कुशल, पारदर्शी और तकनीक सक्षम शासन सुनिश्चित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है. इसे व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन और गैर-अनुपालन के मामलों की जांच करने, शमन और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित निर्देश जारी करने तथा डीपीडीडी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए डीपीडीडी नियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक दंड लगाने का अधिकार है.

बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं.

अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन प्रारूप, पात्रता शर्तें, आवश्यक योग्यताएं, वेतन और भत्ते तथा अन्य विवरणों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.meity.gov.in पर लॉग ऑन करें.

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, उप सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 के पास पहुंच जाना चाहिए. [p.victor@nic.in]

CBC 06101/11/0006/2

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच के समक्ष

कंपनी योजना याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)2026

संबद्ध

कंपनी योजना आवेदन सं. CA(CAA)/1(MP)2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएन: L23109MP1972PLC008290 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीदीप, भोपाल के निकट, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश - 462 046, भारत स्थित है। .... कंपनी/प्रथम याचिकाकर्ता कंपनी/विविलयित कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी

एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U23994MP2024PLC071568 है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल, हुजूर, मध्य प्रदेश - 462046, भारत स्थित है। .... द्वितीय याचिकाकर्ता कंपनी/परिणामी कंपनी

भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U35100MP2006PLC071693 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल - 462046, हुजूर, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है। .... तृतीय याचिकाकर्ता कंपनी/हस्तांतरक कंपनी

सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" के तौर पर संदर्भित

कंपनी योजना याचिका की सुनवाई की सूचना

याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के अनुमोदन हेतु एक कंपनी याचिका दिनांक 12 मई, 2026 को प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ("आदेश) ("एनसीएलटी) द्वारा दिनांक 14 मई, 2026 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया। माननीय श्री ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, माननीय सदस्य (न्यायिक) तथा माननीय श्री मन मोहन गुप्ता, माननीय सदस्य (तकनीकी), एनसीएलटी द्वारा कंपनी याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)/2026, में पारित आदेश के अनुसार, उक्त विषय की सुनवाई एवं अंतिम निस्तारण की तिथि, जैसा कि माननीय अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, 04 जून, 2026 है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त कंपनी याचिका का समर्थन अथवा विरोध करना चाहता हो, तो वह अपनी ऐसी मंशा की सूचना, लिखित रूप में, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने पूर्ण नाम एवं पते सहित, याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता श्री रवि पाहवा, पार्टनर, मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स को ravi.pahwa@thakkarandpahwa.com (सॉफ्ट कॉपी में) तथा/अथवा मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स, कार्यालय: 71, न्यूयॉर्क टॉवर - ए, 7वीं मंजिल, मुक्ति धाम देरासर, थलतेज चार रास्ता, अहमदाबाद - 380054 (हार्ड कॉपी में) के समक्ष इस प्रकार प्रेषित करे कि वह उक्त कंपनी याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम-से-कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को प्राप्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध के आधार अथवा उसके शपथपत्र की प्रति भी उक्त सूचना के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक: 23 मई, 2026

स्थान: इंदौर

हस्ताक्षर

रवि पाहवा

पार्टनर

ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स

याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता

एमपी बना वैश्विक वन्य जीव संरक्षण का रोल मॉडल

प्रकृति के संरक्षण को केवल नीति नहीं, बल्कि संस्कृति बनाएंगे : केन्द्रीय मंत्री यादव

- 5 रुपए का डाक टिकट भी किया लांच
- प्रचार साहित्य, नेशनल रिपोर्ट्स का विमोचन

भोपाल, 22 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जैव-विविधता में हमारा प्रदेश, देश में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में विकसित किया जा रहा है.हमारे पास टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, वुल्फ स्टेट का टाइटल है.

सालों पहले देश की धरती से चीते लुप्त हो चुके थे.हम देश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाले चीतों को प्रदेश की धरती में वापस ले आये हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को चीता स्टेट बनने का गौरव देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि चीतों ने पालपुर कूनो और गांधी सागर अभयारण्य को अपना घर मान लिया है. लगभग 100 साल के बाद मध्यप्रदेश की धरती पर जंगली भैंसे का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की गई है.दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए और 53 घड़ियाल कूनो नदी में छोड़े गए हैं.हलाली डेम क्षेत्र में 5 लुप्तप्राय गिद्धों को उनके नैसर्गिक वातावरण में मुक्त किया गया है.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

मध्यप्रदेश में 5 हजार से अधिक वनस्पतियां, करीब 500 पक्षियों की प्रजातियां और 180 से अधिक मछलियों की प्रजातियां मौजूद हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो मध्यप्रदेश के जंगलों में 100 से ज्यादा हाथी भी विचरण कर रहे हैं.कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, मंत्रालय के केन्द्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे.

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का पुनर्स्थापन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था.प्रदेश के वन विभाग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए मध्यप्रदेश की धरती पर चीतों का नया घर तैयार किया है.हमारा वन अमला हाथियों के प्रबंधन के लिए बुलेटिन निकालने जैसे नवाचार भी कर रहा है.चंबल और कूनो नेशनल पार्क में घड़ियालों के संरक्षण का कार्य भी तेजी से हो रहा है.मां नर्मदा का वाहन मगर है, इनके संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है.

> राज्य सरकार ने प्रदेश की धरती पर 100 साल बाद 8 जंगली भैंसों की वापसी कराई है.इससे हमारे कान्हा नेशनल पार्क की जैव-विविधता समृद्ध हुई है.असम सरकार के सहयोग से हमें जंगली भैंसे मिले हैं.दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों का भी संरक्षण किया गया है.भोपाल से छोड़े गए गिद्ध ने उज्बेकिस्तान तक का सफर तय कर लिया है.जल और जंगल के संरक्षण तथा जमीन उर्वरता बचाए रखने में मध्यप्रदेश देश में नंबर वन है.प्रदेश में 2 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए और एक हजार अमृत सरोवर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है.प्रदेश के पाँच हजार जलस्रोतों का विकास किया जा रहा है.

गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद

भोपाल, 22 मई. मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया.

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया. जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन उपस्थित रहे.

दतिया के सेरसा गांव में मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने के बाद तनाव

दतिया,22 मई. दतिया के मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया है.केस दर्ज होने से पहले ही आरोपी फरार हो गया है.ग्रामीण बोले कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. दतिया जिले के उनाव थाना क्षेत्र के ग्राम सेरसा में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का यह मामला सामने आया है.गांव के मातन मोहल्ला स्थित प्राचीन शंकर जी मंदिर में बीती रात एक युवक द्वारा शिवलिंग तोड़े जाने की घटना हुई.घटना के बाद गांव में आक्रोष व्याप्त है और पुलिस तैनात कर दी गई है.

पवन चक्कियों पर डाका : गार्ड को बनाया बंधक

- पुलिस पर पथराव और फिर बड़ा खुलासा
- 16 बदमाश गिरफ्तार, 30 लाख की केबल और वाहन जब्त

नवभारत न्यूज

रतलाम/रिंगनोद. थाना रिंगनोद क्षेत्र के ग्राम रोला मगरा स्थित पवन चक्कियों पर हुई सनसनीखेज लूट और चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपियों से चोरी गई कॉपर केबल, एक बोलेरो और एक पिकअप वाहन सहित करीब 30 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है.

घटना 20 मई 2026 की मध्यरात्रि करीब 12:15 बजे की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि सुजलोन कंपनी की पवन चक्कियों पर 15 से 20 बदमाश लाठी-पत्थरों से लैस होकर पहुंचे हैं और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रिंगनोद निरीक्षक आनंद सिंह आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. बताया गया कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी बड़े-बड़े पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें फरियादी सहित पुलिसकर्मी घायल हो गए.आरोपियों ने गार्ड को बंधक बनाकर उसके पास रखे 11 हजार रुपए लूट लिए और पवनचक्की क्रमांक एसकेएस-01 व एसकेएस-08 से करीब 10 लाख रुपए कीमत की कॉपर केबल काटकर फरार हो गए.

पानी के किनारे बैठी टी-17 बाघिन, पर्यटकों ने किया दीदार

संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में दिखा दुर्लभ नजारा

सीधी, 22 मई. संजय टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी के बीच एक दुर्लभनजारा देखने को मिला.यहां की प्रसिद्ध बाघिन टी-17 शुक्रवार को करीब तीन घंटे तक पर्यटकों के सामने एक जल स्रोत के किनारे बैठी रही.यह पहली बार है जब यह बाघिन इतनी देर तक शांत मुद्रा में पर्यटकों के करीब दिखाई दी.दोपहर लगभग 12 बजे पर्यटक सफारी के दौरान जंगल में एक जल स्रोत के पास पहुंचे.तभी उनकी नजर पानी के किनारे आराम कर रही टी-17 बाघिन पर पड़ी.

गर्मी से राहत पाने के लिए बाघिन लंबे समय तक वहीं बैठी रही, जिससे पर्यटकों को उसे करीब से देखने का मौका मिला.पर्यटकों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया.बाघिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जहां लोगों ने उसके शांत स्वभाव और शाही अंदाज की सराहना की.कई पर्यटकों ने इस अनुभव को अपनी सबसे यादगार जंगल सफारी बताया.गर्मी के मौसम में वन्यजीव अक्सर जल स्रोतों के आसपास सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को उन्हें देखने के अधिक अवसर मिलते हैं.टी-17 बाघिन का इस तरह लंबे समय तक खुले में दिखना वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव रहा.इस वीडियो के सामने आने के बाद पर्यटकों में एक बार फिर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सुरभि और गोपाला गौशेड का किया लोकार्पण

- 1200 गौवंश के आश्रय की हुई व्यवस्था

भोपाल 22 मई . उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि हिनौती गौधाम गौसंरक्षण का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. यहां प्राकृतिक खेती की भी शुरूआत की जा रही है. इस स्थल को हरीतिमायुक्त बनाकर सुरम्य बनाया जायेगा.

उन्होंने सुरभि एवं गौपाला गौशेड का लोकार्पण किया जहां 1200 से अधिक गौवंश को आश्रय मिलेगा.उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल नई दिल्ली से चलकर प्रयागराज होते हुए सीधे हिनौती गौधाम पहुंचे जहां उन्होंने गौपूजन किया तथा गाय को गुड़ खिलाया.उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेड गौशेड के निर्माण के कार्य शीघ्र गति से पूर्ण करायें ताकि वर्षा से पूर्व अधिक से अधिक गौवंश के आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके.

उन्होंने सभी गौशेड में बिजली व पंखे की व्यवस्था करने तथा भूसा शेड में बिजली की व्यवस्था के निर्देश दिये. श्री शुक्ल ने कहा कि गौधाम में लगाये गये पौधों की नियमित सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें.उन्होंने कहा कि गौधाम आदर्श गौधाम बनेगा जहां 25 हजार गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने गौधाम के प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक में प्रचलित निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये.उन्होंने गौधाम के प्रबंधक तथा गौसेवकों के मानदेय में वृद्धि की बात भी कही.

> श्री शुक्ल ने गौसेवकों के लिये गौधाम में शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये .उप मुख्यमंत्री ने ग्राम जनप्रतिनिधियों की मांग पर नादघाट के पहुंचमार्ग को दुरूस्त करने तथा इसके सौन्दर्यीकरण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये .उन्होंने गौधाम के वर्कप्लान का अवलोकन किया .इस दौरान सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, एसडीएम दृष्टि जायसवाल, जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी, उप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि व गौधाम के सलाहकार राजेश पाण्डेय, सीईओ जनपद प्राची चतुर्वेदी, हरिश्चन्द्र द्विवेदी सहित अधिकारी व गौधाम से सबंद्धजन उपस्थित रहे .

सिंधिया ने समर्थकों से कहा-पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग कम करें

ग्वालियर, 22 मई. केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र प्रवास से पूर्व क्षेत्रवासियों और समर्थकों से आत्मीय अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोल-डीजल की प्रत्येक बूंद बचाना हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व है.

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और आह्वान के अनुरूप सार्वजनिक जीवन में सादगी, जिम्मेदारी और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाना समय की आवश्यकता है.इसी भावना के साथ उन्होंने भोपाल और संसदीय क्षेत्र गुना, शिवपुरी में समर्थकों से प्रवास में उनके आवागमन के दौरान पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग न करने का आग्रह किया. उन्होंने क्षेत्रवासियों से जिम्मेदार नागरिक के रूप में सहभागिता निभाने का आग्रह किया.

रीवा में सरपंच की संदिग्ध हालात में मौत

दो महिलाओं पर जहर देकर मारने का परिजनों ने लगाया आरोप

नवभारत न्यूज

रीवा, 22 मई, रीवा में एक सरपंच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिसमें दो महिलाओं पर सरपंच को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई है. जिन महिलाओं के द्वारा मृतक को अस्पताल लाया गया उन महिलाओं के द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व सरपंच के साथ ऋतुराज पार्क के अंदर जमकर मारपीट की गई थी, जिसमें पैसे के लेनदेन का मामला सामने आया था.

परिजनों ने बताया कि मृतक ताज मोहम्मद गोविंदगढ़ के मड़वा के सरपंच है जो एक जमीन के सौदे में रीवा आये हुए थे. शाम को अचानक परिजनों को फोन आया कि सरपंच की हालत खराब है जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी. हालांकि जिस सरपंच की मौत हुई है उसे दो महिलाओं के द्वारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया था लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि चिरहुला में उन्हीं महिलाओं के घर में बैठकर उन्होंने फल खाया था इसके बाद उनकी हालत बिगड़ी थी. इस पूरे मामले को लेकर परिजन अब उन महिलाओं पर जहर देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं. क्योंकि तकरीबन 2 वर्ष पूर्व इन्हीं दोनों महिलाओं के द्वारा सरेआम सरपंच ताज मोहम्मद के साथ ऋतुराज पार्क के अंदर जमकर मारपीट की गई थी. दो वर्ष पूर्व हुई घटना के बाद भी सरपंच ताज मोहम्मद का उन महिलाओं से संपर्क जारी रहा. परिजनों का आरोप है कि बीती शाम आखरी बार सरपंच उन्हीं के घर था और वही महिलाए अस्पताल लाई थी जिसको लेकर अब सरपंच के परिजन हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं.

घरेलू गैस सिरेंडर की रिफलिंग व कालाबाजारी मामले में कोर्ट सख्त

जबलपुर, 22 मई. अपर सत्र न्यायालय ने घरेलू गैस सिरेंडर की रिफलिंग व कालाबाजारी के आरोपी जबलपुर निवासी किराना दुकान संचालक अजय साहू व प्रीति साहू की अपील निरस्त कर दी। इसी के साथ एक-एक साल की सजा बरकरार रखी गई है।

राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों द्वारा किराना दुकान की आड़ में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी तेल, गैस सिलेंडर की रिफलिंग व ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम की जा रही थी। जिसकी लिखित शिकायत जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी, जिला खाद्य शाखा जबलपुर को प्राप्त होने पर शिकायत के आधार पर डिप्टी कलेक्टर द्वारा अजय किराना स्टोर की आकस्मिक जांच की गई। मौके पर 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, तीन इंडेन के भरे हुए, दो भारत गैस कंपनी के, पांच एचपी कंपनी के जो कुछ भरे और कुछ खाली जप्त किए गए। [illegible]जातों की मांग किए जाने पर कोई भी कागजात नहीं दिखाए जाने पर मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ किए जाने पर बताया गया कि उक्त किराना दुकान में गैस सिलेंडर की कीमत के अतिरिक्त पांच सौ रु. प्रति सिलेंडर को ब्लैक पर बेचा जाता है और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस पलटने का काम किया जाता है।

पति ने बिना तलाक की दूसरी शादी, पत्नी पहुंची थाने ...

- बोली- 4 दिन पहले बताया फिर भी पुलिस ने नहीं रोका

नीमच। जिले के रामपुरा और जावद तहसील से घरेलू हिंसा और अवैध पुनर्विवाह का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस को समय रहते लिखित सूचना देने के बावजूद उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया।

2018 में हुआ था विवाह, दहेज के लिए प्रताड़ना

पीड़िता सपना कछावा निवासी जमालपुरा, रामपुरा का विवाह वर्ष 2018 में जावद तहसील के मोरवन निवासी जोहरसिंह कछावा के साथ हुआ था। उनकी 4 साल की एक बेटी भी है। सपना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति जोहरसिंह 5 लाख रुपए और कार की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। वह शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

पीड़िता ने बताया कि उसे अपने पति की दूसरी शादी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। सपना ने 21 अप्रैल 2026 को रामपुरा थाने में लिखित आवेदन देकर इस अवैध विवाह को रोकने की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आरोपी जोहरसिंह ने 25 अप्रैल 2026 को बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचा ली।

> **पीड़िता बोली- आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें**
>
> पीड़िता और उसके भाई ने अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जोहरसिंह की दूसरी शादी के कार्ड और तस्वीरें साक्ष्य के रूप में दी हैं। सपना का कहना है कि पुलिस की ढिलाई के कारण ही आरोपी के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने मांग की है कि आरोपी पति के खिलाफ तत्काल दहेज उत्पीड़न और अवैध पुनर्विवाह की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि उसे और उसकी मासूम बेटी को न्याय मिल सके।

किराना सामग्री से लदी लोडिंग गाड़ी खाई में गिरी, ग्रामीणों ने सवारों को बचाया

नीमच। जिले के कुकड़ेश्वर-मनासा मार्ग पर गुरुवार रात एक लोडिंग गाड़ी सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा गोटा पिपलिया पुलिया के पास हुआ। गनीमत रही कि हादसे में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मंडावरा ट्रांसपोर्ट की यह गाड़ी किराना सामग्री से लदी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडिंग वाहन तेज रफ्तार में पुलिया के पास पहुंचा और चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के समय कोई अन्य राहगीर या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया और वाहन में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

इस दुर्घटना के कारण कुकडेश्वर-मनासा मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। प्रारंभिक जांच में वाहन की तेज रफ्तार और चालक द्वारा नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच के समक्ष

कंपनी योजना याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)2026

संबद्ध

कंपनी योजना आवेदन सं. CA(CAA)/1(MP)2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएन: L23109MP1972PLC008290 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीदीप, भोपाल के निकट, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश – 462 046, भारत स्थित है।)	.... कंपनी/प्रथम याचिकाकर्ता कंपनी/विविलयित कंपनी/ हस्तांतरिती कंपनी
एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U23994MP2024PLC071568 है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल, हुजूर, मध्य प्रदेश – 462046, भारत स्थित है।)	.... द्वितीय याचिकाकर्ता कंपनी/ परिणामी कंपनी
भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U35100MP2006PLC071693 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल – 462046, हुजूर, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है।)	.... तृतीय याचिकाकर्ता कंपनी/ हस्तांतरक कंपनी सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" के तौर पर संदर्भित

कंपनी योजना याचिका की सुनवाई की सूचना

याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के अनुमोदन हेतु एक कंपनी याचिका दिनांक 12 मई, 2026 को प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ("आदेश) ("एनसीएलटी) द्वारा दिनांक 14 मई, 2026 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया। माननीय श्री ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, माननीय सदस्य (न्यायिक) तथा माननीय श्री मन मोहन गुप्ता, माननीय सदस्य (तकनीकी), एनसीएलटी द्वारा कंपनी याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)/2026, में पारित आदेश के अनुसार, उक्त विषय की सुनवाई एवं अंतिम निस्तारण की तिथि, जैसा कि माननीय अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, 04 जून, 2026 है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त कंपनी याचिका का समर्थन अथवा विरोध करना चाहता हो, तो वह अपनी ऐसी मंशा की सूचना, लिखित रूप में, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने पूर्ण नाम एवं पते सहित, याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता श्री रवि पाहवा, पार्टनर, मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स को ravi.pahwa@thakkarandpahwa.com (सॉफ्ट कॉपी में) तथा/अथवा मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स, कार्यालय: 71, न्यूयॉर्क टॉवर – ए, 7वीं मंजिल, मुक्ति धाम देरासर, थलतेज चार रास्ता, अहमदाबाद – 380054 (हार्ड कॉपी में) के समक्ष इस प्रकार प्रेषित करे कि वह उक्त कंपनी याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम-से-कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को प्राप्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध के आधार अथवा उसके शपथपत्र की प्रति भी उक्त सूचना के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक: 23 मई, 2026

हस्ताक्षर
रवि पाहवा
पार्टनर
ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता

स्थान: इंदौर